द्विपक्षीय समिति (जे बी सी सी आई) द्वारा किया जाता हैं , जिसमें प्रबंधन के प्रतिनिधि और 5 केंद्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि – अर्थात् इन्टक, एटक, सीटू एचएमएस तथा बीएमएस के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जे.बी.सी.सी.आई. द्वारा मजदूरी के संबंध में समझौता सभी पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए किया जाता हैं ताकि कामगारों को औचित्यपूर्ण मजदूरी की अदायगी की जा सके तथा उक्त मजदूरी कामगारों को स्वीकार्य हो सके।

Coal linkage sanctioned to Maharashtra Electricity Board

1250. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the coal linkage sanctioned and despatches made to the thermal power stations of Maharashtra during the last three years, year-wise;

(b) what was the actual demand of coal of the Maharashtra Electricity Board during the said period and whether the demand was fully met;

" (c) if not, what was the shortfall; and

(d) action Government propose to take to ensure full supply of coal as per demand of the Maharashtra Electricity Board?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (c) Linkages to the thermal power stations in the country including of Maharashtra State Electricity Board are sanctioned by the Standing Linkage Committee (SLC) (Short-term) on quarterly basis taking into account the long-term linkages made, the views of Ministry of Power/Central Electricity Authority (CEA), availability of coal, payment and transport constraints etc.

Details of coal linkages vis-a-vis despatches made to the thermal power stations of MSEB for the last three years are as under:—

(Figs, in '000 tonnes)

Year	Linkages	Despatches
1994-95	25074	22124
1995-96	26565	25483
1996-97	24855	26175 (Prov.)

(d) The highest priority is accorded to the allocation and movement of coal to TPSs in the country including MSEB subject to transport and payment constraints. Coal supplies to power houses are regularly monitored, at the level of Cabinet Secretariat once a fortnight and on daily basis by Railways and the coal companies and corrective action is taken whenever necessary to step up supply of coal.

ताप विघुत केन्द्रों को अच्छे स्तर के कोयले की आपूर्ति

1251. **श्री रामजीलाल** : क्या कोयल मंत्री यी बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि ताप विघुत केन्द्रों को कोयला खानों से भेजा जा रहा कोयला उच्च स्तर का नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप ताप विघुत केन्द्र अपनी वास्तावितक क्षमता से कम विघुत उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ताप विघुत केन्द्रों को उच्च स्तर (ग्रेड-ए) के कोयले की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठा रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ताप विघुत केन्द्रों को आपूर्ति किया जाने वाला कोयला आज की अपेक्षा उच्च स्तर पर होता था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) यह बात सत्य नहीं हैं कि देश

में स्थित तापीय विघुत गृह अपने वास्तविक क्षमता से विघुत का कम उत्पादन कर रहे हैं। विघुत गृहों के संयंत्र लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) में वर्ष 1990 के शुरू में हुई 54% से 57% तक का वृद्वि से वर्ष 1997 में निरंतर रूप से लगभग 64.3% तक की वृद्वि हुई हैं।

(घ) और (घ) देश में उपलब्ध अधिकांश कोयले के भंडार निम्न ग्रेड के हैं तथा इसमें उच्च मात्रा में राख विद्यमान हैं। अतः राष्ट्रीयकरण के समय से कोयले का वृद्वयात्मक उत्पादन आवश्यक रूप से निम्न ग्रेड के कोयले का हुआ हैं जो कि आमतौर से विघुत उत्पादन किए जाने के लिए उपयुक्त हैं। कोयले की गुणवत्ता संबंधी विशिष्टिकरण को दृष्टिगत करते हुए विघुत गृहों द्वारा तदनुसार अपने बॉयलरों को अभिकल्पित किया गया हैं तथा उन्होने राष्ट्रीयकरण से पूर्व किए उत्पादन से अधिक उत्पादन हासिल किया हैं।

दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र और महानदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य

1252. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कोयले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व क्षेत्र और महानदी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में ठेके पर दिए गए किन्तु अधूरे छोड़ दिए गए सिविल निर्माण कार्य को किन-किन ठेकेदारों ने पूरा किया;

(ख) इस निर्माण कार्य के लिए नए ठेकेदार को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और पूर्व ठेके की तुलना में यह धनराशि कितनी अधिक थी;

(ग) नए ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने के लिए पूर्व ठेकेदारों और संबद्व अधिकारियों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) के अनुसार अपूर्ण छोड़े गए कार्यो में से 30 जून, 1997 तक पूर्ण कराए गए कार्यो और इसके लिए ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से संबंधित सूचना अनुबंध में दर्शाई गई हैं। (देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 30)

जहां तक महानदी कोलफील्ड्स लि. का संबंध हैं, 1994-95 से 996-97 तक की अवधि में किसी भी ठेकेदारों द्वारा कोई भी सिविल निर्माण कार्य अधूरा नहीं छोड़ा गया हैं। जहां तक नए ठेकेदारों को संबद्व अधिकारियों के विरूद्व अधिक भुगतान किए जाने की कार्रवाई का संबंध हैं, यह उल्लेख किया गया हैं कि अधूरे ठेको के संबंध में शेष निर्माण कार्यो के निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने के बाद नए ठेकेदारों को दिया गया था। अधूरे ठेकों के शेष निर्माण कार्यो को पूरा किए जाने के संबंध में राशि में वृद्वि समयावधि तथा कीमतों में वृद्वि होने के कारण हुई हैं, जो कि अपरिहार्य थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी मामलों में जहां कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया था, उक्त मामलों में ठेके के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त रूप से दंड लगाया गया हैं।

Lease of Captive coal mines

1253. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:
SHRI BRATIN SENGUPTA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether mining plan has to be approved by Central Government before a captive mining lease for coal can be granted by a State Government;

(b) if yes, whether mining plan was approved by Government for the coal mine leased by Government of